

9

जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में अस्थायी कैंन्टीन के संचालन हेतु
आवेदन आमंत्रित करने की सूचना
(अवधि अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक)

जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में वित्तीय वर्ष 2016-17 में अस्थायी कैंन्टीन हेतु खुली निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति मु0 5,000/- रुपये की अग्रिम जमा धनराशि नकद या बैंक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) के साथ अपने आवेदन, समय 03:00 बजे, दिनांक : 08.04.2016 तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में जमा कर सकते हैं। खुली नीलामी दिनांक : 11.04.2016 को सायंकाल : 04:00 बजे से इच्छुक व्यक्तियों की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी।

नियम एवं शर्तें

1. अस्थायी कैंन्टीन की नीलामी 31 मार्च 2017 तक के लिए करायी जायेगी। निविदायें एक बार जमा करने के उपरान्त वापस नहीं की जायेगी।
2. इच्छुक व्यक्ति मु0 5,000/- रुपये की अग्रिम जमा धनराशि नकद या बैंक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) के साथ अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। उक्त वर्णित अग्रिम जमा धनराशि के बगैर जमा आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र दिनांक : 08.04.2016 को या उसके पहले किसी भी कार्यदिवस में मु0 50/- रुपये का शुल्क जमा करके प्राप्त किए जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के नाम से संबोधित होंगे तथा दिनांक : 08.04.2016 को या उसके पहले किसी भी कार्यदिवस पर सायंकाल : 03:00 तक जमा किये जा सकते हैं।
4. खुली नीलामी दिनांक : 11.04.2016 को सायंकाल : 04:00 बजे से इच्छुक व्यक्तियों/संस्था के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी। जो व्यक्ति/संस्था का प्रतिनिधि खुली बोली के समय उपस्थित नहीं होगा उस व्यक्ति/संस्था द्वारा जमा अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. निविदा में असफल व्यक्तियों/संस्थाओं की अग्रिम जमा धनराशि नीलामी के उपरान्त शीघ्र वापस कर दी जायेगी। नीलामी स्वीकृत होते ही सफल व्यक्ति/संस्था को नीलामी की कुल धनराशि का 50% धनराशि तुरन्त जमा करनी होगा तथा शेष धनराशि का भुगतान तीन कार्यदिवसों के भीतर नकद या बैंक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) के माध्यम से जमा करना होगा। नीलामी में सफल व्यक्ति/संस्था द्वारा जमा अग्रिम धनराशि का समायोजन विज्ञापन खर्च की कटौती के उपरान्त नीलामी की पूर्ण धनराशि में कर लिया जायेगा।

6. अस्थायी कैन्टीन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 की नीलामी में निविदा की न्यूनतम बोली **25,000 /-रुपये** प्रति कैन्टीन होगी ।
7. नीलामी में सफल व्यक्ति को अस्थायी कैन्टीन हेतु जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी तथा कैन्टीन को चलाने हेतु वह स्वयं उसे विकसित करेगा ।
8. नीलामी में सफल व्यक्ति/ठेकेदार को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थों का मुनासिब मूल्य भी प्रस्तुत करना होगा जो उसके द्वारा कैन्टीन में विक्रय किए जायेंगे । उसके द्वारा प्रस्तुत मूल्य उचित तथा बाजार भाव से अधिक नहीं होने चाहिए ।
9. नीलामी में सफल व्यक्ति/ठेकेदार को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसके द्वारा विक्रय किए जा रहे खाद्य एवं पेय पदार्थ उच्च गुणवत्ता के होंगे तथा उनका मूल्य बाजार भाव से अधिक नहीं होगा ।
10. नीलामी में सफल व्यक्ति/ठेकेदार को कैन्टीन के आस-पास की साफ-सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
11. आवेदन पत्र के साथ इच्छुक व्यक्ति को अपना स्वहस्ताक्षरित निवास तथा पहचान प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा ।
11. जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी को बिना कारण बताए किसी एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा ।
12. प्राप्त आवेदन पत्रों (जैसा कि नियम व शर्तों के पैरा-4 में लिखित है) की खुली नीलामी दिनांक : **11.04.2016** को सायंकाल : 04:00 बजे से इच्छुक व्यक्तियों की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी ।
13. उक्त निविदा में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी का निर्णय अंतिम/सर्वमान्य होगा ।

दिनांक : 01.04.2016

भवदीय

अध्यक्ष, नीलामी समिति /
प्रभारी अधिकारी (नजारत) /
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।

नीलामी समिति के सदस्यगण :-

- | | |
|--|---|
| <p>1. श्री रमेश चन्द-II
सदस्य, नीलामी समिति /
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।</p> | <p>2. श्री राम चन्द्र यादव
सदस्य, नीलामी समिति /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-05,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।</p> |
|--|---|